



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 119

दर्ज तिथि:-15.03.2024

1. विक्रमभाई पुत्र ठाकराराम

जाति विश्नोई निवासी सांवलासर तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रतापाराम पुत्र ठाकराराम

2. भगवानाराम पुत्र ठाकराराम

3. चूनाराम पुत्र ठाकराराम

4. अनाराम पुत्र रामकिसन

5. देवीलाल पुत्र रामकिसन

6. पालुदेवी पत्नी रामकिसन

7. रामकिसन पुत्र ठाकराराम फौत के कायम मुकाम विप्रार्थी संख्या 04 ता 06

8. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल

9. मांगीलाल पुत्र बंशीलाल

10. मुकेश पुत्र बंशीलाल

11. नेनू पत्नी बंशीलाल

जाति विश्नोई निवासी सांवलासर तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

12. तहसीलदार, नोखड़ा जिला-बाड़मेर।

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:-श्री जगदीश कड़वासरा

अप्रार्थी:- एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136

राजस्थान भू-राजस्व अधि0-1956

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-05.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 हाल आराजी खसरा संख्या 506/5.5037 है0, 510/1.5216 है0, 869/509/1.6997 है0 वाके ग्राम सांवलासर तहसील नोखड़ा, खसरा संख्या 307/7.4786 है0 वाके ग्राम गोगाजी का मंदिर छोटू



निर्णय दिनांक-05.12.2024

तहसील नोखड़ा, 485/1.9344 है0 वाके ग्राम महादेव मंदिर तहसील नोखड़ा कुल में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 वाके ग्राम सांवलासर, गोगाजी का मंदिर छोटू एवं महादेव मंदिर तहसील नोखड़ा में प्रार्थी के नाम का अंकन हिरकनराम पुत्र ठाकराराम अंकित है। जबकि प्रार्थी द्वारा समाचार पत्रिका में विज्ञापन एवं भारत का राजपत्र साप्ताहिक प्राधिकार से प्रकाशित नई दिल्ली शनिवार अप्रैल 22 से अप्रैल 28, 2023 पार्ट 04 गैर सरकारी व्यक्तियों एवं गैर संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएँ में प्रकाशित करवाकर अपना नाम हिरकनराम उर्फ हिरकन पुत्र ठाकराराम के स्थान पर विक्रमभाई पुत्र ठाकराराम करवा लिया है। प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में विक्रमभाई दर्ज है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में भी परिवर्तित नाम विक्रमभाई पुत्र ठाकराराम दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में भिन्नता के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम को राजस्व रिकार्ड में विक्रमभाई दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार गुढामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/1626 दिनांक 17.09.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का परिवर्तित नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।
3. मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072-2075 वाके ग्राम सांवलासर, गोगाजी का मंदिर छोटू एवं महादेव मंदिर तहसील नोखड़ा के नवीन खाता संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

खातेदार का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (है0)
हिरकनराम पुत्र ठाकराराम	02 ग्राम सांवलासर	506	5.5037
		510	1.5216
		869 / 509	1.6997
हिरकनराम पुत्र ठाकराराम	17 ग्राम गोगाजी का मंदिर छोटू	307	7.4786
हिरकनराम पुत्र ठाकराराम	31 महादेव मंदिर	485	1.9344

4. प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में विक्रमभाई अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

दस्तावेज का विवरण	नाम
आधार कार्ड	विक्रमभाई

परिवार राशन कार्ड	विक्रमभाई
जन आधार कार्ड	विक्रमभाई
समाचार पत्रिका	विक्रमभाई
भारत का राजपत्र साप्ताहिक प्राधिकार से प्रकाशित नई दिल्ली रजिस्ट्री संख्या डीएल-(एन) 04/0007/2003- 23 में शनिवार अप्रैल 22 से अप्रैल 28, 2023 पार्ट 04 गैर सरकारी व्यक्तियों एवं गैर संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं में प्रकाशित	विक्रमभाई

5. प्रकरण में तहसीलदार गुढामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार है:-

उक्त प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम की धारा-136 के अंतर्गत मुताबिक हाल जमाबंदी संवत् 2072-75 506 / 5.5037 है0, 510 / 1.5216 है0, 869 / 509 / 1.6997 है0 वाके ग्राम सांवलासर तहसील नोखड़ा में हिस्सा 1 / 6, खसरा संख्या 307 / 7.4786 है0 वाके ग्राम गोगाजी का मंदिर छोटू तहसील नोखड़ा में हिस्सा 1 / 9, 485 / 1.9344 है0 वाके ग्राम महादेव मंदिर तहसील नोखड़ा में हिस्सा 1 / 9 हिरकनराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, समाचार पत्रिका में प्रकाशित नाम संशोधन एवं भारत का राजपत्र साप्ताहिक प्राधिकार से प्रकाशित नई दिल्ली रजिस्ट्री संख्या डीएल-(एन) 04/0007/2003- 23 में शनिवार अप्रैल 22 से अप्रैल 28, 2023 पार्ट 04 गैर सरकारी व्यक्तियों एवं गैर संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं में प्रकाशित में विक्रमभाई पुत्र ठाकराराम दर्ज है। अतः आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, समाचार पत्रिका में प्रकाशित नाम संशोधन एवं भारत का राजपत्र साप्ताहिक प्राधिकार से प्रकाशित नई दिल्ली रजिस्ट्री संख्या डीएल-(एन) 04/0007/2003- 23 में शनिवार अप्रैल 22 से अप्रैल 28, 2023 पार्ट 04 गैर सरकारी व्यक्तियों एवं गैर संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं एवं मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट एवं जानकारी के आधार पर हिरकनराम के स्थान पर विक्रमभाई शुद्ध किया जाना उचित होगा। हिरकनराम व विक्रमभाई एक ही व्यक्ति है।

6. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के बाद पाया गया कि तहसीलदार नोखड़ा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का परिवर्तित नाम दर्ज नहीं है एवं जमाबंदी संवत् 2072-75 वाके ग्राम मौखाबा खुर्द तहसील गुढामालानी में भी प्रार्थी के नाम का परिवर्तित नाम का सही अंकन नहीं किया गया है। मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072-2075 वाके ग्राम सांवलासर, गोगाजी का मंदिर छोटू एवं महादेव मंदिर तहसील नोखड़ा प्रार्थी की आराजी का विवरण रिकॉर्ड के अनुसार है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों में विक्रमभाई अंकित है जो बिंदू संख्या-2 में वर्णित है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुढामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र तहसीलदार गुढामालानी रिपोर्ट व अन्य

निर्णय दिनांक-05.12.2024

दस्तावेज से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि तहसीलदार गुढामालानी ने अवगत करवाया है कि प्रार्थी का नाम पूर्व में जमाबंदी में अंकित नाम से प्रार्थी द्वारा अपना नाम परिवर्तित करवाये जाने के कारण विक्रमभाई के स्थान पर हिरकनराम दर्ज कर दिया है। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक तहसीलदार गुढामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि
प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 तहसीलदार गुढामालानी रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात् के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी में नाम **हिरकनराम** को कलमजन कर उस के स्थान पर **विक्रमभाई** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी जिला-बाड़मेर